UPLOAD DATE 12.04.2018

कार्यालय नगर पंचायत विधूना–औरैया

पत्र सं0–171/पंजीकरण–आ0सू0 (2018–19)/विधूना, दिनांक–06 अप्रैल, 2018

–:ई–टेण्डरिंग ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण की सूचना:–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत विधूना औरैया निकाय सीमान्तर्गत सिविल एंव अन्य कार्यो (भवन/सडक/नाला निर्माण/मरम्मत व आपूर्ति/जनशक्ति) के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में ई–टेण्डरिंग/ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली हेतु दि0 07.04.2018 से दिनांक 16.04.2018 तक कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी को संबोधित होगा। दिनांक 16.04.2018 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। वे स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। निर्धारित पंजीयन प्रपत्र शुल्क रू0 1,000.00 (रू0 एक हजार मात्र) जमा कर कार्यालय कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता हैं। पंजीयन कराने वाले ठेकेदारों/फर्मो को रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा, जो वापस नहीं किया जायेगा। किसी भी ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण एंव नवीनीकरण करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार अधिशाषी अधिकारी में निहित होगा।

ठेकेदारों/फर्मों को पंजीकरण एंव नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रपत्र संलग्न करने होंगे।

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत हैंसियत प्रमाण पत्र, जो कम से कम रू0 10 लाख (दस लाख) तक हो तथा 31 मार्च 2019 तक बैद्य हो।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जो 31 मार्च 2019 तक बैद्य हो।
3. पंजीकरण/नवीनकरण के निर्धारित शुल्क के साथ रू0 100.00 मात्र (रू0 एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. ठेकेदार/फर्म का आयकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र।
5. किसी भी संस्था में कार्य कराने का अनुभव प्रमाण पत्र, जो सरकारी विभाग द्वारा जारी हो। अनुभव प्रमाण पत्र न होने पर पंजीयन सम्भव न होगा।
6. ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्यालय में कार्य करने वाले मजदूरों की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा श्रम विभाग 1962 की एक्ट के अनुसार मजदूरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म ठेका नगर पंचायत विधूना औरैया में पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाना सम्भव नहीं होगा।
7. जी0 एस0 टी0 विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र (जी0 एस0 टी0 नम्बर सहित)।
8. फर्म का निबन्धन कार्यालय का पंजीयन नम्बर।
9. प्रारूप टी–6
10. आधार कार्ड।
11. नवीनतम 02 फोटो।
12. आवेदन कर्ता को डिजिटल सिग्नेचर प्रस्तुत करना होगा।
13. उपरोक्त नवीनकरण/पंजीकरण बिना श्रेणी के किये जा रहे है आवश्यकतानुसार श्रेणीवार नवीनीकरण/पंजीकरण करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः इच्छुक व्यक्ति उक्त निर्धारित अवधि तक निर्धारित प्रारूप पर समस्त वाछित अभिलखों/दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन पत्र कार्यालय नगर पंचायत विधूना औरैया में पंजीयन हेतु प्राप्त करा सकते है। ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनकरण की सूचना जनपद औरैया की बेवसाइट www.auraiya.up.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित लिपिक के पास देखी व प्राप्त की जा सकती हैं।

(दीपालिका यादव)
अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत विधूना,
औरैया।

(अमित कुमार)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत विधूना,
औरैया।

अनुमोदित।

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत विधूना,
औरैया।

अमित कुमार
अध्यक्ष,
नगर पंचायत विधूना,
औरैया।

पत्र संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र ....आज........ एंव ....हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में उक्त विज्ञापन सरकारी दर पर उचित स्पेश में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी महोदय, औरैया।
3. प्रभारी अधिकारी/अपर जिलाधिकारी महोदय, औरैया।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, औरैया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आवश्यक सूचना जनपद औरैया की बेव साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. अवर अभियन्ता, नगर पंचायत विधूना औरैया।

6/5/2018
(दीपालिका यादव)
अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत विधूना,
औरैया।

अमित कुमार
(अमित कुमार)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत विधूना,
औरैया।